

बिहार सरकार
वित्त विभाग।

प्रेषक,

रचना पाटिल,
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक :

विषय:- राज्य सरकार के नियमित कर्मियों को ए०सी०पी० नियमावली, 2003 की कंडिका-4(5)(ii) के तहत अनुशासनिक कार्यवाही आदि या प्रोन्नति के योग्य नहीं पाये जाने के कारण प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ 12 वर्ष के बाद न देकर विलम्ब से अनुमान्य होने पर द्वितीय वित्तीय उन्नयन पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में ए०सी०पी० नियमावली, 2003 की कंडिका-4(5)(ii) में यह प्रावधान किया गया है, कि यदि सरकारी सेवक को अनुशासनिक कार्यवाही आदि के चलते या प्रोन्नति के योग्य नहीं पाये जाने के चलते ए०सी०पी० योजना के अधीन प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ 12 वर्ष के बाद न देकर विलम्ब से दिया जाता है, तो ए०सी०पी० योजना के अधीन दूसरा वित्तीय उन्नयन प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि से 12 वर्षों के बाद दिया जायेगा।

2. इसी प्रकार एम०ए०सी०पी० नियमावली, 2010 (निरसित) एवं 2025 के कंडिका-14 में यह प्रावधान किया गया है, कि यदि कर्मचारियों के अयोग्य होने के कारण या विभागीय कार्यवाही आदि के कारण एम०ए०सी०पी० योजना आस्थगित/विलम्बित रखा जाता हो और किसी ग्रेड वेतन में 10 वर्षों के बाद नहीं दिया जाता हो, इसका परिणामी प्रभाव उत्तरवर्ती (बाद के) वित्तीय उत्क्रमण पर भी पड़ेगा और वह भी उस हद तक आस्थगित/विलम्बित हो जायेगा।

3. वित्त विभागीय पत्रांक-5152, दिनांक-21.05.2013 के द्वारा यह स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है कि 12 वर्ष की सेवा पूरी होने पर प्रदत्त प्रथम वित्तीय उन्नयन के उपरांत एम०ए०सी०पी० योजना, 2010 के आलोक में द्वितीय वित्तीय उन्नयन प्रथम नियुक्ति की तिथि से लगातार सेवा पूर्ण करने पर 20वें वर्ष में प्रदान किया जायेगा।

4. वित्त विभाग को विभिन्न विभागों द्वारा ऐसे मामले पृष्ठांकित किये जाते रहे हैं, जिसमें यह परामर्श मांगा जाता है कि प्रथम ACP में विलम्ब होने की स्थिति में बाद के MACP की तिथि किस प्रकार प्रभावित होगी। इस संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक-10936, दिनांक-27.11.2014 निर्गत किया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार के किसी कर्मि को ए०सी०पी० नियमावली, 2003 की कंडिका-4(5)(ii) के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन विलम्ब से प्राप्त होता है तथा द्वितीय उन्नयन उक्त नियमावली के निरसित होने के पूर्व अनुमान्य नहीं होता है, तो ऐसे कर्मि को एक ही वेतनमान में 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर एम०ए०सी०पी० योजना, 2010 के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन दिनांक-01.01.2009 या 10 वर्ष की सेवा पूरी होने की तिथि, जो बाद में हो, से अनुमान्य होगा, जो ए०सी०पी० नियमावली, 2003 एवं एम०ए०सी०पी० नियमावली, 2025 के मूल प्रावधान से संगत नहीं है।

5. अतः एतद् द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि यदि राज्य सरकार के किसी कर्मि को ए०सी०पी० नियमावली, 2003 की कंडिका-4(5)(ii) के तहत प्रथम ए०सी०पी० विलम्ब से प्राप्त होता है, तो ऐसे कर्मि का उत्तरवर्ती (बाद के) वित्तीय उन्नयन अर्थात् द्वितीय एवं तृतीय एम०ए०सी०पी० भी उस हद तक विलम्बित हो जायेगा जितना प्रथम ए०सी०पी० विलम्बित हुआ है। उदाहरणस्वरूप यदि किसी कर्मि की नियुक्ति की तिथि-05.09.1994 है। उक्त तिथि से 12 वर्ष की सेवा के उपरांत इनका प्रथम

ए०सी०पी० की देय तिथि-05.09.2006 है। परन्तु किसी विभागीय कार्यवाही के कारण दण्डादेश या किसी कारणवश प्रथम ए०सी०पी० 01 वर्ष विलम्ब से दिनांक-05.09.2007 के प्रभाव से दिया जाता है, तो द्वितीय एम०ए०सी०पी० भी 01 वर्ष विलम्बित होकर नियुक्ति की तिथि से 21वें वर्ष अर्थात् दिनांक-05.09.2015 से एवं तृतीय एम०ए०सी०पी० नियुक्ति की तिथि से 31वें वर्ष अर्थात् दिनांक-05.09.2025 से अनुमान्य होगा।

इस स्पष्टीकरण के संबंध में पूर्व से निर्गत वित्त विभागीय पत्रांक-10936, दिनांक-27.11.2014 को विलोपित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

पटना, दिनांक :

ज्ञापांक : 3सी-04-प्रो०-01 / 2026-...../वि०

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

पटना, दिनांक :

ज्ञापांक : 3सी-04-प्रो०-01 / 2026-...../वि०

प्रतिलिपि : सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

पटना, दिनांक :

ज्ञापांक : 3सी-04-प्रो०-01 / 2026-...../वि०

प्रतिलिपि : महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

पटना, दिनांक : 13/7/2026

ज्ञापांक : 3सी-04-प्रो०-01 / 2026-6397...../वि०

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग / अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट शाखा / सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


9.7.26

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।